न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प बलाना, तहसील सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः— श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 61/2017
दायर तिथि— 14.08.2017
तारीख फैसला— 28.05.2018

वादी—
सुजाराम पुत्र भवरीयाजी आयु बालिग जाति भील निवासी रेवड़ा खुर्द तहसील रोहट जिला पाली (राजस्थान)।

बनाम

प्रतिवादीगण—
1—नेमाराम पुत्र लादीयाजी आयु बालिग
2—भंवरलाल पुत्र लादीयाजी आयु बालिग
3—श्रीमती अन्तरी पुत्री लादीयाजी आयु बालिग जातिगण मीणा निवासीगण बलाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।
3— तहसीलदार (भुमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट, 1955

—:निर्णयः—

वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बलाना में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 1250 रकबा 1.22 हैक्टर खसरा नं. 1252 रकबा 0.87 हैक्टर खसरा नं. 1253 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 2.76 हैक्टर है। जिसमें वादि एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी सहमती से रिपोर्ट व नजरी नक्शा पटवारी हल्का बलाना से प्राप्त कर रेकर्ड पर लिये गये जिसके फलस्वरूप उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य निम्न रूपेण अन्तिम विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा(हैक्टर)	किस्म	लगान
1	सुजाराम पुत्र भंवरीयाजी कौम भील निवासी रेवड़ा खुर्द तहसील रोहट	1250 1252/1 1253/1	1.22 0.06 0.10	ज.न.द्वि ज.न.द्वि ज.न.द्वि	11.59 0.57 0.95
		3	1.38	ज.न.द्वि	13.11
2	नेमाराम भंवरलाल पि. लादाराम अंतरी पुत्री लादाराम कौम	1252 1253	0.81 0.57	ज.न.द्वि ज.न.द्वि	7.70 5.41
		2	1.38	ज.न.द्वि	13.41

अतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर उपरोक्तानुसार अन्तिम विभाजन किया जाता है तथा बटवाड़ा मुजब खातेदार एक—दुसरे की बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगें एवं ना ही अन्य किसी से करायेंगें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। माफिक बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतिम पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सुमेरपुर एवं हल्का पटवारी बलाना उपरोक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। पटवारी हल्का बलाना से प्राप्त प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस निर्णय अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प बलाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner